CURRENT AFFAIRS

01 अगस्त, 2024

1. बजट 2024-25: बुनियादी ढांचे का आवंटन और विकास योजनाएं -

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है।राज्यों को बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।

बजट 2024-25 के लक्षित क्षेत्र

- कुल बजट के हिस्से के रूप में बुनियादी ढांचे पर सरकार का व्यय 13.9% पर स्थिर बना हुआ है, जो वित्त वर्ष 2024 में 14.3% से थोड़ा कम है।
- परिवहन क्षेत्र, बजट के 11.29% के साथ, बुनियादी ढांचे पर व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा बनाता है, हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इसका हिस्सा 0.4 प्रतिशत अंक कम हुआ है।
- सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2024-25 के लिए ₹2.78 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- रेलवे का परिव्यय 5% से ऊपर बना हुआ है, जिसमें 2.55 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड आवंटन है।
- कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली सहित सिग्नलिंग और दूरसंचार कार्यों के लिए वित्त पोषण में वित्त वर्ष 2024 की तुलना में वृद्धि हुई है।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय का आवंटन 20% घटकर ₹2,357 करोड़ रह गया।
- शिपिंग के लिए परिव्यय ₹2,377 करोड़ पर अपरिवर्तित रहेगा।
- क्षेत्रीय संपर्क योजना को ₹502 करोड़ मिलने का अनुमान है।

2. सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा पर रोक बढ़ाई, भोजनालयों के लिए पुलिस के निर्देश -

- उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के उस निर्देश पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया है, जिसमें कहा गया था कि कांवड़िया तीर्थयात्रियों के मार्ग पर स्थित भोजनालयों में मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित किए जाने चाहिए।
- स्थगन आदेश अगली सुनवाई की तारीख 5 अगस्त तक जारी रहेगा। मुजफ्फरनगर जिला पुलिस द्वारा जारी निर्देश
- 17 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर स्थित होटलों, ढाबों और दुकानों को अपने मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया।

- कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हुई और 19 अगस्त तक चलेगी।इसमें कहा गया है कि हालांकि "धार्मिक भेदभाव" का कोई इरादा नहीं है, लेकिन पहले भी दुकानों के नाम के कारण "कानून-व्यवस्था संबंधी स्थिति" उत्पन्न हुई है, जिससे कांवड़ियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि कांवड़िए पूरी तरह शाकाहारी भोजन करते हैं।
- इस नोटिस को कई पक्षों ने चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह निर्देश मुस्लिम स्वामित्व वाले व्यवसायों को लक्षित करता है, क्योंकि इससे उन्हें अपनी धार्मिक पहचान का खुलासा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसके आर्थिक परिणाम हो सकते हैं और व्यवसायों और व्यक्तियों को निशाना बनाया जा सकता है।
- उन्होंने अनुरोध किया है कि इस निर्देश को सार्वजनिक रूप से वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक सार्वजनिक नोटिस के प्रवर्तन पर रोक लगा दी है।

3. रैपिडो $120 मिलियन की नई फंडिंग के साथ यूनिकॉर्न बन गया -

- विकास के एक प्रदर्शन में, भारत का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, तथा 2023 के लिए रिकॉर्ड तोड़ 126 मिलियन डॉलर का वित्त पोषण प्राप्त कर लिया है।नवीनतम ट्रैक्सन स्पेस टेक जियो रिपोर्ट 2024 के अनुसार, यह 2022 से 7% की वृद्धि और 2021 से 235% की प्रभावशाली उछाल को दर्शाता है।
- वित्त पोषण में यह वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब भारत का अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विस्तार कर रहा है, जिसमें अब 100 से अधिक कंपनियां शामिल हैं - सरकार के अनुसार, जिनमें से अधिकांश पिछले पांच वर्षों में स्थापित हुई हैं।
- राइड-हेलिंग स्टार्टअप रैपिडो ने वेस्टब्रिज कैपिटल के नेतृत्व में $120 मिलियन की नई फंडिंग जुटाई, जिससे उसका मूल्यांकन $1 बिलियन हो गया और वह यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गया। क्रुट्रिम और परफियोस के बाद यह 2023 में यह दर्जा हासिल करने वाला तीसरा स्टार्टअप है।फंडिंग में मंदी के बाद, स्टार्टअप इकोसिस्टम में नए सिरे से निवेश गतिविधि देखी गई, इस वर्ष के प्रारंभ में ज़ेप्टो और पर्पल ने भी पर्याप्त फंडिंग हासिल की।

4. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल सम्मेलन का उद्घाटन किया -

- 2 अगस्त, 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में राज्यपालों के दो दिवसीय महत्वपूर्ण सम्मेलन का उद्घाटन किया।यह सम्मेलन केन्द्र-राज्य संबंधों को आकार देने और कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न मुद्दों पर केंद्रित है।
- राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर जोर दिया कि सम्मेलन का एजेंडा राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विचार-विमर्श प्रतिभागियों के कामकाज के लिए फायदेमंद होगा।

- राष्ट्रपति ने तीन नए कानूनों: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की शुरूआत के साथ न्याय प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत पर प्रकाश डाला।
- उन्होंने समावेशी विकास की आवश्यकता पर बल दिया, विशेष रूप से अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय आबादी के लिए। राज्यपालों से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तरीके सुझाने का आग्रह किया गया।

5. एससीएस और एसटी के उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला -

- 1 अगस्त, 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें 1950 में संविधान में आरक्षण लागू किए जाने के बाद पहली बार अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) कोटा के संचालन को नए सिरे से परिभाषित किया गया।
- इस ऐतिहासिक फैसले में छह अलग-अलग राय सामने आईं, जिनमें से पांच उप-वर्गीकरण के पक्ष में थीं और एकमात्र असहमति न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की थी।
- अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को एक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से "जातियों, मूलवंशों या जनजातियों" को सूचीबद्ध करने की अनुमति देता हैअनुसूचित जातियों के रूप में उन्हें ऐतिहासिक अन्याय, विशेषकर अस्पृश्यता, का सामना करना पड़ा।इन समूहों को सामूहिक रूप से शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में 15% आरक्षण दिया गया है।